

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक-2432/16

प्रस्तुत दिनांक 18.08.2016

दिनांक 17/8/16

न्यायालय-माननीय राजस्व मंडल महोदय, राजस्व न्यायालय,
ग्वालियर (म.प्र.) वृत्त इन्दौर के समक्ष

2201-9209-082-16

मोहन गिरी गोस्वामी

.....आवेदक/प्रार्थी

विरुद्ध

श्रीमती कमलाबाई व अन्य

.....अनावेदक/प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र धारा 35(3) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत

सदर प्रकरण में प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :-

1. यह कि, सदर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष नियत होकर प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि, उक्त दिनांक को प्रार्थीनी के अधिवक्ता श्री सुभाष पटेल अपने परिचित के यहाँ पर गमी हो जाने से मैय्यत में गए थे तथा प्रकरण के संबंध में अपने साथी जूनियर अधिवक्ता को उपस्थित होने बाबद कहा था किन्तु साथी अधिवक्ता भी परिवार न्यायालय इन्दौर में अन्य प्रकरण में व्यस्त हो जाने के कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष समय पर उपस्थित नहीं हो सके तथा जिसके चलते पुकार लगाने पर न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है।

3. यह कि, अनुपस्थिति का कारण उचित व योग्य होकर सदभाविक होने से क्षम्य किये जाने योग्य हैं। ऐसी अवस्था में उक्त प्रकरण को पुनः रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपरीमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य रूप में संभव नहीं हो सकेगी।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अनुपस्थिति की क्षमा प्रदान कर प्रकरण को पुनः उसी स्तर पर रिकार्ड पर लिए जाने बाबद उचित आदेश व निर्देश प्रदान करने की कृपा करे। यही विनय है।

इंदौर

प्रस्तुतकर्ता

दिनांक 18.08.2016

(सुभाष पटेल)

प्रार्थीगण तर्फे अभिभाषक
98280-14581

श्रीमती कमलाबाई
शिवरा 2011
18/08/16
इ.प्र. 4031
a

दिनांक 17/8/16
18/08/16


75

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक रेस्टो. 9209-पीबीआर/16

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-1-2017	<p>आवेदक की ओर से श्री संदीप यादव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर सुना गया । रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 2432-पीबीआर/16 पुनःस्थापित किया जाये । रेस्टोरेशन प्रकरण समाप्त हो ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>